न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2011

1. सुरेश कुमार दत्तक पुत्र श्री रामचन्द कौम खाती उम्र 31 साल निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति विमला देवी पत्नि श्री नटराज कौम खाती निवासी सरवाड़ी गेट तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 हाल कार्यरत नगर परिषद, किशनगढ़ जिला अजमेर (राज)
2. श्रीमति सुन्दर पत्नि नोरत जाति खाती निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. बालाबक्श पुत्र स्व0 भंवरलाल जाति खाती निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि स्व0 मोहन जाति खाती निवासी ग्राम पाटनतहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. बंशी देवी पुत्री स्व0 मोहन जाति खाती निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. चांदमल पुत्र स्व0 मोहन जाति खाती निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. बालानन्द पुत्र स्व0 बजरंग जाति खाती निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. गोपाल पुत्र स्व0 बजरंग जाति खाती निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 15/12/2021

उपस्थितः श्री रामलाल — प्रार्थी अभिभाषक

श्री ध्रुव सिंह चौधरी — अप्रार्थीगण सं0 1 व 2

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री रामलाल प्रजापत के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि —

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी स्व0 रामचन्द्र पुत्र भंवर लाल कौम खाती निवासी पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर का दत्तक पुत्र है तथा स्व0 रामचन्द्र पुत्र स्व0 भंवर लाल ने प्रार्थी को नाबालिग अवस्था में प्रार्थी के माता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पिता की सहमति से दिनांक 30.04.1984 को जरिये गोदनामा प्रार्थी को गोद लिया था तथा गोदनामा उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ़ में पंजीयक करवाया था तथा प्रार्थी के जाईन्दा पिता ने प्रार्थी को स्व0 रामचन्द्र को जो कि प्रार्थी के पिता का सगा भाई था पंजीकृत गोदनामें के जरिये गोद दे दिया तथा प्रार्थी तब से ही लगातार स्व0 रामचन्द्र के साथ बतौर दत्तक पुत्र उनके जीवनकाल में निवास करता रहा अप्रार्थी संख्या 1 विमला देवी स्व0 रामचन्द्र की पत्नि थी किन्तु रामचन्द्र के देहान्त के पश्चात अप्रार्थीया नं0 1 ने रामचन्द्र की तगाग चल व अचल सम्पत्ति एवं कृषि भूमि का त्याग करके श्री नटराज नागक व्यक्ति से विवाह कर लिया एवं किशनगढ़ में रहना प्रारम्भ कर दिया तथा स्व0 रामचन्द्र द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि पर एक मात्र प्रार्थी के ही लगातार कब्जा व काश्त मे चली आ रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी में जो कृषि भूमि चली आ रही है जिसके खसरा नम्बरान् 285, 286, 457, 200, 438 कुल रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा है। उक्त खसरान् में में कुल रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा में 1/3 हिस्सा स्व0 रामचन्द्र पुत्र स्व0 भंवरलाल का था जो उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो गया किन्तु अप्रार्थी स्व0 रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात् उनकी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति एवं कृषि भूमि में तमाम हक छोड़कर चली गई और उसने दूसरा विवाह कर लिया तो प्रार्थी ने तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष जो कि अप्रार्थी संख्या 9 है उपरोक्त तथ्यो के सन्दर्भ में चाराजोही कर प्रार्थी का नाम तन्हा रूप में 1/3 हिस्से पर दर्ज करने का निवेदन किया इस पर अप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार किशनगढ़ ने दिनांक 31.12.1986 को निर्णय पारित कर प्रार्थी के तन्हा नाम से नामान्तकरण भरने व तस्दीक करने एवं श्रीमती विमला देवी का नाम नामान्तकरण में से निरस्त करने बाबत् के आदेश प्रदान किये थे। उक्त कार्यवाही के दौरान स्वयं अप्रार्थीया संख्या 1 ने एक शपथ पत्र इस आशय का दिनांक 25.10.1986 को प्रस्तुत किया कि मुझे अब स्व0 रामचन्द्र की पाटन स्थित चल व अचल सम्पत्ति से कोई लेना देना नही है तथा में चाहती हूं कि उनकी तमाम चल व अचल सम्पत्ति प्रार्थी सुरेश को मिल जाए। उक्त शपथ पत्र के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया एवं पटवारी व तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा दिनांक 31.12.1986 को जो आदेश प्रदान किया था उसकी पालना आज दिन नही किये जाने से एवं सम्बन्धित राजस्व दस्तावेज वर्किंग जमाबन्दी में आज भी अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम बहैसियत सहहिस्सेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि तन्हा रूप से प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है एवं प्रार्थी उक्त भूमि का अकेला काश्तकार हैं। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

8 को पक्षकार इसलिए बनाया गया है क्योंकि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में संयुक्त खातेदार है तथा उन खातेदारी से अपने हिस्से का खातेदारी अधिकार की घोषणा के पश्चात नींव, सींव, खसरा, रकबा व लगान से एवं अच्छी से अच्दी एवं बुरी से बुरी किस्म के आधार पर हिस्सा बंटवारा चाहा गया है इसलिए पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। राजस्व दस्तावेज में नाम अंकित होने से अप्रार्थीया संख्या 1 के मन में कपट तथा उसने बदनियती से कुछ लोगो को स्वयं के नाम कथित हस्से के बैचान करने के बारे में भिन्न–भिन्न लोगो से बातचीत की है तथा दिनांक 25.12.2010 को मौके पर अन्जान व्यक्तियों को जमीन देखने भेजा जबकि अप्रार्थीया संख्या 1 को कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नही है। तथा अप्रार्थीया ने नटराज नाम के व्यक्ति से शादी करने के पश्चात् उससे एक लड़की सन्तोष शर्मा भी है। इस प्रकार विवादग्रस्त कृषि आराजी भूमि से अप्रार्थीया संख्या 1 कोई सम्बन्ध व सरोकार नही हैं। अप्रार्थीया संख्या 1 विमला देवी के पति की दिनंका 04.08.1984 को ही गांव पाटन में मृत्यु हो गई थी तथा स्व0 रामचन्द्र ने प्रार्थी को दिनांक 30.04.1984 को ही गोद ले लिया था। सभी धार्मिक कियांए प्रार्थी ने ही सम्पन्न की थी। इस प्रकार स्व0 रामचन्द्र के सम्पूर्ण हिस्से का मालिक घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व दस्तावेज में इन्द्राज करना एवं अप्रार्थीया संख्या 1 किसी भी बैचान से उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि से बैचान से व प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करे, रहन, बैचान, बैबख्शीश न करे इस आशय से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। क्योंकि प्रार्थी विवादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने पिता की मृत्यु से पूर्व व मृत्यु के बाद काबिज काश्त चला आ रहा है एवं अप्रार्थीया संख्या 1 स्व0 रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 04.08.1984 के पश्चात् पाटन गांव में समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति को छोड़कर नटराज नाम के व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया इस प्रकार विवादग्रस्त कृषि आराजी भूमि पर अप्रार्थीया का कब्जा काश्त नही रहा है तथा दिनांक 3012.1986 को तहसीलदार किशनगढ़ ने भी निर्णय पारित करते हुए स्व0 रामचन्द्र की सम्पूर्ण हिस्से की भूमि पर प्रार्थी जो कि उसका दत्तक पुत्र है के नाम नामान्तरण दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये है तथा अप्रार्थीगण का नाम जमाबन्दी से हटाने के आदेश भी प्रदान कर दिये है। इस प्रकार विवादग्रस्त कृषि आराजी भूमि से अप्रार्थीया का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को अप्रार्थगण स्वयं जरिये नोकर चाकर अभिकर्ता एजेन्ट तामूल निर्णय रहन, बैचान, बैबख्शीश नही करे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

तामूल निर्णय दखल अन्दाज नही करे इस आशय की बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री ध्रुव सिंह चौधरी द्वारा दिनांक 17.10..2011 को जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 एवं अप्रार्थी सं0 9 पेराकार सरकार कि ओर से दिनांक 17.10.2011 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 कि ओर से बावजुद सुचना के भी कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यावाही कि गई।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री ध्रुव सिंह चौधरी द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को रामचन्द्र पुत्र भंवरलाल ने दिनांक 30.04.1984 को गोद नही लिया था गोदनामा फर्जी है उक्त गोदनामा पर अप्रार्थी संख्या 1 के कोई हस्ताक्षर नही है व उसकी कोई सहमति नही है। गोदनामा पर रामचन्द्र के कोई हस्ताक्षर नही है, प्रार्थी कभी भी रामचन्द्र के साथ नही रहा था। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 के तहत गोद लेने वाले पत्नि पति व गोद देने वाले पति पत्नि दोनो पक्ष की सहमति आवश्यक है उक्त गोदनामा, पर अप्रार्थीया संख्या 1 के कोई हस्ताक्षर नही है उक्त गोदनामा किसी प्रकार से वैध नही है गोदनामा विधि विरूद्ध है एवं आरम्भ से शुन्य हैं एवं विमला देवी स्व0 रामचन्द्र की पत्नि है रामचन्द्र का स्वर्गवास के पश्चात् रामचन्द्र की चल व अचल सम्पति एवं कृषि भूमि का त्याग नही किया हैं अगर इस तरह का कोई हक त्याग पत्र रजिस्ट्रर्ड है तो प्रार्थी स्वयं पेश करे अप्रार्थी अपने पति रामचन्द्र के बाद उनकी एक मात्र वारिस है जो उनकी चल अचल सम्पति पर काबिज एवं खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नं 285 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नं0 286 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 457 रकबा 5 बिस्वा गै0 मु0 चाह, खसरा नं0 200 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 438 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। जिसमें रामचन्द्र का 1/3 है एवं रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 अपने पति की एक मात्र वारिस है अगर किसी प्रकार का राजस्व रेकॉर्ड में अंकिन किया गया है वह आरम्भ से शून्य है अप्राथी संख्या 1 के हितो के प्रति प्रभाव शून्य हैं प्रार्थी का अप्रार्थीया संख्या 1 के पति की समस्त चल अचल सम्पति एवं कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा नही है अपने पति की चल अचल सम्पति की एक मात्र स्वामी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

है अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पति की चल अचल सम्पति में किसी प्रकार का हक नही छोड़ा न किसी प्रकार का दूसरा विवाह किया है प्रार्थी ने अगर तहसीलदार अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष बयानजोही की गई तो गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 के हितो के प्रति आरम्भ से शून्य है निष्प्रभावी है प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की चल अचल सम्पति कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा व दखल नही है तहसीलदार किशनगढ़ को किसी प्रकार का निर्णय अप्रार्थी संख्या के विरूद्ध पारित करने का विधिक अधिकार न ही है दिनांक 31.12.1986 को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रार्थी के नाम से नामान्तरण भरने का आदेश दिया है तो आरम्भ से शून्य है तहसीदार को अप्रार्थी संख्या 1 का नाम निरस्त करने का किसी प्रकार का विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 25.10.1986 को किसी प्रकार का शपथ पत्र न तो पेश किया न ही तस्दीक कराया गया इस तरह का कोई फर्जी दस्तावेज तैयार कराया गया है तो वह कूटरचित दस्तावेज है अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 25.10.1986 को तहसीलदार के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र कि मुझे अब रामचन्द्र की पाटन स्थिति चल अचल सम्पति से कोई लेना देना नही है तथा में चाहती हूं कि उनकी तमाम चल अचल सम्पति प्रार्थी सुरेश को मिल जाये इस तरह का कोई शपथ पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश हुआ है तो कुटरचित दस्तावेज है। उस पर अप्रार्थी संख्या 1 के किसी प्रकार के हस्ताक्षर नही है तथा उक्त शपथ पत्र के आधार पर पारित निर्णय अप्रार्थी संख्या 1 के हितो अधिकारो के प्रति आरम्भ से शून्य है व निष्प्रभावी है बेअसर है एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.1986 आरम्भ से शून्य है निष्प्रभावी है तथा प्रार्थी के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 01.09.1998 को ग्राम पाटन में समस्या सामाधान शिविर में खोला गया नामान्तकरण आरम्भ से शून्य है जब दिनांक 30.04.1984 को मृतक रामचन्द्र व उसकी पत्नि विमला ने सुरेश को गोद ही नही लिया गया तो उसके आधार पर खोला गया नामान्तरण संख्या 59 दिनांक 01.09.1998 आरम्भ से शून्य है निष्प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 के हितो के प्रति बेअसर है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने स्वर्गीय पति रामचन्द्र के हिस्से 1/3 केवल मात्र अकेली खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 के पति की कृषि आराजी पर किसी प्रकार का आज दिनांक तक कब्जा काश्त नही है एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अधीन आराजी से स्वर्गीय रामचन्द्र के हिस्से से किसी तरह का हक हिस्सा सम्बन्ध ही नही है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र एवं दावा लाने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थी को किसी प्रकार का रामचन्द्र के स्थान पर न तो खातेदार घोषित किया जा सकता है न उसे वाद

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अधीन आराजी में बंटवारा कराने का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रह जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र के 1/3 हिस्से पर उसके आधे हिस्से पर अवैध गोदनामें के आधार पर खोला गया नामान्तकरण के अंकन के अनुसार ताफैसला मूल वाद कभी भी राजस्व रिकार्ड में अंकित के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 के पति की 1/3 हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द करने को उतारू है एवं कभी भी बैचान, बख्शीश कर सकता है। अतः प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद तक पाबन्द किया जावे।

4. उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी स्व0 रामचन्द्र पुत्र भंवर लाल कौम खाती निवासी पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर का दत्तक पुत्र है तथा स्व0 रामचन्द्र पुत्र स्व0 भंवर लाल ने प्रार्थी को नाबालिग अवस्था में प्रार्थी के माता पिता की सहमति से दिनांक 30.04.1984 को जरिये गोदनामा प्रार्थी को गोद लिया था तथा गोदनामा उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ़ में पंजीयक करवाया था तथा प्रार्थी के जाईन्दा पिता ने प्रार्थी को स्व0 रामचन्द्र को जो कि प्रार्थी के पिता का सगा भाई था पंजीकृत गोदनामें के जरिये गोद दे दिया तथा प्रार्थी तब से ही लगातार स्व0 रामचन्द्र के साथ बतौर दत्तक पुत्र उनके जीवनकाल में निवास करता रहा अप्रार्थी संख्या 1 विमला देवी स्व0 रामचन्द्र की पत्नि थी किन्तु रामचन्द्र के देहान्त के पश्चात अप्रार्थीया नं0 1 ने रामचन्द्र की तमाम चल व अचल सम्पत्ति एवं कृषि भूमि का त्याग करके श्री नटराज नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया एवं किशनगढ़ में रहना प्रारम्भ कर दिया तथा स्व0 रामचन्द्र द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि पर एक मात्र प्रार्थी के ही लगातार कब्जा व काश्त मे चली आ रही है। प्रार्थी ने तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष जो कि अप्रार्थी संख्या 9 है उपरोक्त तथ्यो के सन्दर्भ में चाराजोही कर प्रार्थी का नाम तन्हा रूप में 1/3 हिस्से पर दर्ज करने का निवेदन किया इस पर अप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार किशनगढ़ ने दिनांक 31.12.1986 को निर्णय पारित कर प्रार्थी के तन्हा नाम से नामान्तकरण भरने व तस्दीक करने एवं श्रीमती विमला देवी का नाम नामान्तकरण में से निरस्त करने बाबत् के आदेश प्रदान किये थे। उक्त कार्यवाही के दौरान स्वयं अप्रार्थीया संख्या 1 ने एक शपथ पत्र इस आशय का दिनांक 25.10.1986 को प्रस्तुत किया कि मुझे अब स्व0 रामचन्द्र की पाटन स्थित चल व अचल सम्पत्ति से कोई लेना देना नही है तथा में चाहती हूं कि उनकी तमाम चल व अचल सम्पत्ति प्रार्थी सुरेश को मिल जाए। उक्त शपथ पत्र के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

गया एवं पटवारी द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा दिनांक 31.12.1986 को जो आदेश प्रदान किया था उसकी पालना आज दिन नही किये जाने से एवं सम्बन्धित राजस्व दस्तावेज वर्किंग जमाबन्दी में आज भी अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम बहैसियत सह हिस्सेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि तन्हा रूप से प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है एवं प्रार्थी उक्त भूमि का अकेला काश्तकार हैं। राजस्व दस्तावेज में नाम अंकित होने से अप्रार्थीया संख्या 1 के मन में कपट तथा उसने बदनियती से कुछ लोगो को स्वयं के नाम कथित हिस्से के बैचान करने के बारे में भिन्न–भिन्न लोगो से बातचीत की है तथा दिनांक 25.12.2010 को मौके पर अन्जान व्यक्तियों को जमीन देखने भेजा जबकि अप्रार्थीया संख्या 1 को कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। क्योंकि प्रार्थी विवादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने पिता की मृत्यु से पूर्व व मृत्यु के बाद काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को अप्रार्थगण स्वयं जरिये नोकर चाकर अभिकर्ता एजेन्ट तामूल निर्णय रहन, बैचान, बैबख्शीश नही करे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में तामूल निर्णय दखल अन्दाज नही करे इस आशय की बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का निवेदन किया

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र भंवरलाल ने दिनांक 30.04.1984 को गोद नही दिया था गोदनामा फर्जी है उक्त गोदनामा पर अप्रार्थी संख्या 1 के कोई हस्ताक्षर नही है उसकी कोई सहमति नही है गोदमनामा पर रामचन्द्र के कोई हस्ताक्षर नही है प्रार्थी कभी भी रामचन्द्र के साथ नही रहा था। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 के तहत गोद लेने वाले पत्नि पति व गोद देने वाले पति पत्नि दोनो पक्ष की सहमति आवश्यक है उक्त गोदनामा, पर अप्रार्थीया संख्या 1 के कोई हस्ताक्षर नहीं है, उक्त गोदनामा किसी प्रकार से वैध नही है, गोदनामा विधि विरूद्ध है एवं आरम्भ से शुन्य हैं एवं विमला देवी स्व0 रामचन्द्र की पत्नि है रामचन्द्र का स्वर्गवास के पश्चात् रामचन्द्र की चल व अचल सम्पति एवं कृषि भूमि का त्याग नहीं किया हैं अगर इस तरह का कोई हक त्याग पत्र रजिस्ट्रर्ड है तो प्रार्थी स्वयं पेश करे अप्रार्थी अपने पति रामचन्द्र के बाद उनकी एक मात्र वारिस है जो उनकी चल अचल सम्पति पर काबिज एवं खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 285 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नं0 286 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 457 रकबा 5 बिस्वा गै0 मु0 चाह, खसरा नं0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

200 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 438 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की चल अचल सम्पति कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा व दखल नही है। तहसीलदार किशनगढ़ को किसी प्रकार का निर्णय अप्रार्थी संख्या के विरूद्ध पारित करने का विधिक अधिकार नही है। दिनांक 31.12.1986 को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रार्थी के नाम से नामान्तरण भरने का आदेश दिया है तो आरम्भ से शून्य है तहसीलदार को अप्रार्थी संख्या 1 का नाम निरस्त करने का किसी प्रकार का विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र के 1/3 हिस्से पर उसके आधे हिस्से पर अवैध गोदनामें के आधार पर खोला गया नामान्तकरण के अंकन के अनुसार ताफैसला मूल वाद कभी भी राजस्व रिकार्ड में अंकित के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 के पति की 1/3 हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द करने को उतारू है एवं कभी भी बैचान, बख्शीश कर सकता है। अतः प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद तक पाबन्द किया जावे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी सं0 1 की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली के साथ संलग्न ग्राम पाटन की जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 खाता संख्या नया 167 पुराना 127 ख0नं0 285 रकबा 00–02–00 गै0मु0 चाह, ख0नं0 286 रकबा 05–07–00, ख0नं0 457 रकबा 00–05–00, ख0नं0 200 रकबा 12–08–00 व ख0नं0 458 रकबा 19–08–00 कुल किता 5 कुल रकबा 37–10–00 भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं गोदनामा/अप्रार्थी सं0 1 द्वारा निष्पादित शपथ पत्र की वास्तविकता एवं प्रार्थी के वकील द्वारा बहस में प्रस्तुत तथ्यों के संबंध में मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर गुणागुण परिक्षण कर निर्णय पारित किया जावेगा।

न्यायालय हाजा को यह उचित प्रतीत होता है कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीया सं0 1 राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे ताकि वाद बाहुलता नहीं बढ़े।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीया सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पाटन स्थित ख0नं0 285 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

00–02–00 गै0मु0 चाह, ख0नं0 286 रकबा 05–07–00, ख0नं0 457 रकबा 00–05–00, ख0नं0 200 रकबा 12–08–00 व ख0नं0 458 रकबा 19–08–00 कुल किता 5 कुल रकबा 37–10–00 भूमि के मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीया सं0 1 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15/12/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)